एडी0कमि0(प्रशा0) की अध्यक्षता में लोक लेखा समिति में वसूली से सम्बन्धित लम्बित मामलों में (वर्ष 11–12 व 13–14) शीघ्र कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय पर हुई बैठक दि0 17.06.2019 का कार्यवृत्त :–

1. मा0 लोक लेखा समिति के विचाराधीन वर्ष 2011–12 व 2013–14 से सम्बन्धित वसूली हेतु लम्बित मामलों की समीक्षा हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन आज दि0 17.06.2019 को एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। प्रतिभागी अधिकारियों का उपस्थिति विवरण पत्रावली पर रक्षित है। वर्ष 11–12 में वसूली हेतु 9 मामले लम्बित दिखाये जा रहे हैं जिनका वादवार समीक्षा विवरण निम्न प्रकार है :–

1. सर्वश्री जी0एस0 मार्केटिंग कं0 बजरिया गाजियाबाद वर्ष 07–08

फर्म में सम्प्रति रू0 4.49 लाख बकाया है जिसकी वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र दिल्ली प्रेषित किया गया है। निर्देशित किया गया है कि सक्षम अधिकारी को दिल्ली प्रान्त में प्रेषित करके नियमानुसार वसूली की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाय।

2. सर्वश्री नाइट क्वीन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 गाजियाबाद वर्ष 07–08

वाद में मांग समाप्त हो गयी है। इस प्रकार प्रकरण समाप्त हो गया है।

3. सर्वश्री एस0के0 कैम इण्डस्ट्रीज, हापुड़ वर्ष 07–08

बकाया रू0 54000 की वसूली पूर्ण कर ली गयी है। इस प्रकार प्रकरण समाप्त हो गया है।

4. सर्वश्री डायमण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज पनकी कानपुर वर्ष 07–08

मांग समाप्त हो गयी है। इस प्रकार प्रकरण समाप्त हो गया है।

5. सर्वश्री आर0डी0आर0 कारपो0 नोएडा वर्ष 07–08

बताया गया कि गोपनीय पत्रावली न मिलने के कारण वसूली की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। निर्देशित किया गया कि गोपनीय पत्रावली को खोज लिया जाय तथा उसमें दर्ज सूचनाओं के अनुसार व तब तक बैंक से पैन नम्बर प्राप्त करके आयकर विभाग से सूचनाएं प्राप्त कर वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जाय।

6. सर्वश्री बी0एस0 इण्ड0 मिर्जापुर, वर्ष 05–06

मांग समाप्त हो गयी है। इस प्रकार प्रकरण समाप्त हो गया है।

7. सर्वश्री मेडिसिन मेडिकल सिस्टम इंडिया प्रा0लि0 नोएडा वर्ष 06–07

फर्म बन्द हो चुकी है। गोपनीय पत्रावली नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वसूली की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। निर्देशित किया गया कि गोपनीय पत्रावली को खोज लिया जाय तथा उसमें दर्ज सूचनाओं के अनुसार व बैंक से पैन नम्बर प्राप्त करते हुए आयकर विभाग से सूचनाएं प्राप्त कर वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जाय।

8. सर्वश्री पातीवेल जे0बी0 फेण्ड्स कालोनी इटावा वर्ष 04–05 व 06–07

फर्म में बकाया रू0 80.78 लाख के विरूद्ध रू0 24.00 लाख की वसूली की गयी है। शेष धनराशि के लिए वसूली का प्रयास किया जा रहा है।

9. सर्वश्री कामधेनू एण्ड कम्पनी गाजियाबाद वर्ष 08–09

फर्म में बकाया रू0 51.01 लाख की वसूली का प्रयास किया जा रहा है। आयकर विभाग व नगर निगम से बाकीदार के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर वसूली की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

वर्ष 13–14 से सम्बन्धित 06 मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :–

10. सर्वश्री अधि0अभि0लो0नि0वि0 बांदा, वर्ष 06–07

जनपद बांदा में वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से है बाकीदार भी सरकारी संस्थान है, ऐसे में वसूली लम्बित रहने का कोई औचित्य नहीं है। अधिकारियों को साप्ताहिक रूप से पैरवी कर मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।

11. सर्वश्री डिप्टी चीफ इन्जी0उत्तर रेलवे, मुरादाबाद वर्ष 09—10

जनपद मुरादाबाद में विभागीय वसूली है बाकीदार भी सरकारी संस्थान है, ऐसे में वसूली लम्बित रहने का कोई औचित्य नहीं है। अधिकारियों को साप्ताहिक रूप से पैरवी कर मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।

12. सर्वश्री अधि0अभि0नलकूल खण्ड रामपुर वर्ष 09—10

मांग समाप्त। इस प्रकार प्रकरण निस्तारित हो गया।

13. सर्वश्री स्काईलाइन इन्फोटेक प्रा0लि0 वर्ष 10—11

बाकीदार फर्म बन्द हो चुकी है। बाकीदार दिल्ली प्रान्त में निवास करते हैं जिनको खोज लिया गया है और जल्द ही वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

14. सर्वश्री अधि0अभि0, निर्माण खण्ड—12 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ वर्ष 08—09

जनपद लखनऊ में विभागीय वसूली है बाकीदार भी सरकारी संस्थान है, ऐसे में वसूली लम्बित रहने का कोई औचित्य नहीं है। अधिकारियों को साप्ताहिक रूप से पैरवी कर मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।

15. सर्वश्री अधि0अभि0राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 लखनऊ वर्ष 09—10

जनपद लखनऊ में विभागीय वसूली है बाकीदार भी सरकारी संस्थान है, ऐसे में वसूली लम्बित रहने का कोई औचित्य नहीं है। अधिकारियों को साप्ताहिक रूप से पैरवी कर मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त 15 प्रकरणों में 5 मामले में कार्यवाई पूर्ण हो चुकी है और शेष में प्रभावी कार्यवाही करते हुए **दि0 01.07.2019 तक आख्या** प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(गुलाब चन्द्र)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

पृ0प0संख्या 272 दिनांक : 18/6/19

प्रतिलिपि : 1. कमिश्नर, वाणिज्य कर महोदया की सेवा में सादर आवलोकनार्थ।

2. एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर महोदया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

3. सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—1 गाजियाबाद प्रथम/द्वितीय, नोएडा, वाराणसी प्रथम/द्वितीय, कानपुर द्वितीय, इटावा, झांसी, लखनऊ प्रथम एवं मुरादाबाद जोन को सूचनार्थ व अपने स्तर से अनुश्रवण हेतु।

4. बैठक के प्रतिभागी अधिकारियों को (नाम से) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आडिट) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ।

18.6.19

ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।